

27/2/18 वकील डा. अशोक उपा. अलाहाबाद
 की ओर से मुकदमा में
 पत्रों की दिनेया रिपोर्ट को ने
 देव कर जमानत का अन्तर
 चक्र, मिदल वाले जमानत
 दि. 12/3/18 को देव करे।

12/3/18 वकील इमामत उपा. अलाहाबाद
 जमानत का अन्तर चक्र
 चक्र, मिदल वाले जमानत
 दि. 16/4/18 को देव करे।

16.4.18 पत्राव. पेश हुई। वकील फरीकन उपा. अलाहाबाद।
 आज P.O. सा. ... दिनांक 1.6.7.18 को पेश करे।



सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) गुलावपुरा

11/6/2018

सुनाया जा चुका है। वकील उभयपक्षों उपस्थित है। चूंकि: इस प्रकरण
 से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस प्रकरण
 का कोई औचित्य नहीं रह जाने से इस प्रकरण को कार्यवाही
 इस स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावकील शमार फैसल होकर
 दाखिल करे। आदेश आज दिनांक 11/6/2018 को
 खुली लोक अदालत कैम कोर्ट आगुवाँ पर सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (S. D. O.) गुलावपुरा
 जिला-भीलवाड़ा